कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,
Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक

दिनांक, चम्पावत 14-8- 2018।

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
लोहाघाट।

विषयः– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– अधिशाषी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत का पत्रांक 1118/2सी दि0 24.07.2018।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि लो0नि0वि0 चम्पावत को विभिन्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणो के सापेक्ष अवनत वन भूमि मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता है। अतः आप अपने क्षेत्रान्तर्गत कुल 70.00 हे0 अवनत वन भूमि चिन्हित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(कुबेर सिह बिष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 520 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0,, लो0नि0वि0 चम्पावत को उनके उक्त संदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कुबेर सिह बिष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

Scanned with CamScanner

पत्रांक :– ..../ दिनांक :– ....../07/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय :– खण्ड द्वारा ऑनलाईन किये गये वनभूमि प्रस्तावों में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मे वृक्ष होने के कारण वृक्ष विहीन अवनत वनभूमि (Degraded Forest Land) उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रॉक–710/2सी0दि029–5–2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा खण्ड में स्वीकृत मार्गों के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन किये गये है। जो कि भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक स्थल के डी0एस0एस0 जॉचोपरान्त स्थल के कुछ भाग घना वन एवं कुछ भाग में हल्का वन होने के कारण आपत्तियॉ प्राप्त हुयी है, दिनॉक 29/05/2018 को जिला कार्यालय में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में अवनत वनभूमि (Degraded Forest Land) में भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिस हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने वावत आपसे अनुरोध किया गया था जो कि अपेक्षित है।अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रॉक–135/1जी0–5066(भा0स0दिशा–निर्देश)देहरादून दि013–7–2018 द्वारा वन भूमि प्रस्ताव में वॉछित सूचना 60 दिन में उपलब्ध न होने पर प्रस्ताव बन्द/निरस्त किये जाने वावत अवगत कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये खण्ड से सम्बन्धित वनभूमि प्रस्तावों के आपत्तियों का निराकरण हेतु अवनत वनभूमि (Degraded Forest Land) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि स्थल के संयुक्त निरीक्षण उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। आपत्तियों में प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् है।

क्र0 सं0	प्रस्ताव संख्या	मार्ग का नाम	प्रस्तावित वनभूमि (हेक्टे0 में)	क्षतिपूरक हेतु स्थल की आवश्यक्ता (हेक्टे0 में)
1	FP/UK/ROAD/11895/2015	बिनवालगॉव–कलियाधूरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग लम्बाई 16.500 कि0मी0	11.035	23.000
2	FP/UK/ROAD/12159/2015	मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 किमी	7.9208	16.000
3	FP/UK/ROAD/12220/2015	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चम्पावत–मंच–तामली मोटर मार्ग के कि0मी0 47.00 से न्यायापंचायत सिमियाउरी मोटर मार्ग लम्बाई 8.00 कि0मी	4.909	10.000
5	FP/UK/ROAD/18062/2015	बिरमोला–रायल मो0 मार्ग लम्बाई 4.00 कि.मी.	2.643	6.000
6	FP/UK/ROAD/18721/2015	मिटि्टीखाल–सौरई मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि.मी	7.075	15.000
	योग			70.000

भवदीय,

(इं0 डी0डी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
चम्पावत

क्रमशः–2 पृ

Scanned with CamScanner

पत्रांक :– 1118/02 वी.　　दिनांक :–24/07/2018

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता सिविल सिविन वृत लो0नि0वि0चम्पावत को उपरोक्तानुसवार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को उक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियंता प्रथम, एवं द्वितीय को अपने–अपने प्रभाग से सम्बन्धित मार्गों में लगी आपत्तियों हेतु वनविभाग से सम्पर्क करते हुये निराकरण की कार्यवाही व्यक्तिगत रुप से करना सुनिश्चित् करें ताकि भविष्य में किसी भी मार्ग में जनाक्रोंश न होने पायें।

प्रतिलिपि वनभूमि पत्रावली हेतु।

(इं0 डी0डी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
चम्पावत

Scanned with CamScanner